

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये

## मध्यप्रदेश

पांचवी मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल - 462004

मेल -nursing.dhs@mp.gov.in दूरभाष 0755-2527165

क्रमांक :- 09/नर्सिंग/सेल-1एस/2019/एफ-38/

भोपाल, दिनांक / / 2019

//आदेश//

श्रीमती कुमुदिनी बेंजामीन, पब्लिक हैल्थ ट्यूटर, महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र - उज्जैन को मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम 1976 के नियम 42 दो उप नियम 1 के खण्ड क के अंतर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 18.03.2019 के आधार पर दिनांक 31.05.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। श्रीमती कुमुदिनी बेंजामीन के विरुद्ध किसी प्रकार की वसूली आदि शेष पाये जाने पर उन्हें प्राप्त होने वाले स्वत्वों से समायोजित किया जावेगा।

मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम 1976 के नियम 10 (1) के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से 2 वर्ष तक बिना शासन की पूर्वानुमति के कोई व्यवसायिक रोजगार करने की पात्रता नहीं होगी। यदि शासन की पूर्वानुमति के बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से 02 वर्ष की समाप्ति के पूर्व कोई व्यवसायिक रोजगार ग्रहण किया जाता है तो संबंधित श्रीमती कुमुदिनी बेंजामीन, पब्लिक हैल्थ ट्यूटर की पूर्ण पेंशन अथवा पेंशन के अंश को रोका जा सकता है।

श्रीमती कुमुदिनी बेंजामीन, पब्लिक हैल्थ ट्यूटर, महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र उज्जैन को दिनांक 31.05.2019 (दोपहर पूर्व) से शासकीय सेवा से भारमुक्त माना जावे।

// स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित //

(डॉ. जे. विजय कुमार)

संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 11/11/2019

पृष्ठांकन क्रमांक 09/सेल-1/2019/ एफ-38/

726

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये, मध्यप्रदेश
3. संचालक, लीगल, संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये, मध्यप्रदेश
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये, उज्जैन संभाग, उज्जैन मध्यप्रदेश
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को उनके पत्र क्रमांक स्थापना/2019/11540 दिनांक 03.05.2019 के संदर्भ में भेजकर निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदिनी बेंजामीन, पब्लिक हैल्थ ट्यूटर, महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र उज्जैन को नियमानुसार देय स्वत्वों को भुगतान, पेंशन आदि का निराकरण कर शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय जिला उज्जैन
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन
8. श्रीमती कुमुदिनी बेंजामीन, पब्लिक हैल्थ ट्यूटर, महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र उज्जैन की ओर पालनार्थ।
9. प्रभारी एम.आइ.एस. संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये, कृपया उक्त आदेश को विभागीय साइड पर तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें।
10. आदेश नस्ती

संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये

मध्य प्रदेश